म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 मई 2010

म0प्र0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल मान्यता विनियम 2010

क्र.–739–विधि–मान्यता–विनियम–2010–मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्रमांक 23 सन् 1965) की धारा 28 की उपधारा (1) एवं 2 (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा बनाये गये ''मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल मान्यता विनियम 2010'' के अन्तिम प्रारूप का प्रकाशन एतद्द्वारा उक्त धारा की उपधारा (4) के अन्तर्गत सर्वसंबंधित की जानकारी के लिये किया जाता है, जिसका अनुमोदन मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 50–3/2010/20–3, दिनांक 19, मई 2010 द्वारा किया गया है।

एक– इसे माध्यमिक शिक्षा मण्डल मान्यता विनियम 2010 कहा जाएगा, जो म.प्र. राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगा।

परिभाषाऐं :–

दो – जब तक अन्यथा प्रयोजन न हो–

2.1 ''अधिनियम'' से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965.

2.2 ''मण्डल'' से तात्पर्य है, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश जो अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत स्थापित किया गया है।

2.3 ''कार्यपालिका समिति'' से तात्पर्य है, अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत गठित ''कार्यपालिका समिति''।

2.4 ''मान्यता समिति'' से तात्पर्य है, अधिनियम की धारा 24(5) के अन्तर्गत गठित ''मान्यता समिति''।

2.5 ''अध्यक्ष'' से तात्पर्य है, अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत नियुक्त अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल।

2.6 ''सचिव'' से तात्पर्य है, अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत नियुक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल।

तीन – मान्यता समिति का गठन कार्यक्षेत्र एवं अधिकार :–

3.1 मण्डल की मान्यता समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगे:–

(I)	अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल,	–	अध्यक्ष
(II)	प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग अथवा उनके द्वारा नामित स्कूल शिक्षा विभाग का अधिकारी जो उपसचिव के स्तर से निम्न न हो	–	सदस्य
(III)	आयुक्त, लोक शिक्षण अथवा उनके द्वारा नामित लोक शिक्षण संचालनालय का संचालक के समकक्ष स्तर का एक अधिकारी	–	सदस्य
(IV)	अध्यक्ष द्वारा मण्डल के अशासकीय सदस्यों में से नामित दो सदस्य	–	सदस्य
(IV)	सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल,	–	सदस्य सचिव

3.2 मान्यता समिति द्वारा संस्थाओं तथा विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने सम्बन्धी नीति निर्धारण व सिद्धांत समय–समय पर तय किये जायेंगे।

3.3 मान्यता शुल्क तथा विलम्ब शुल्क मान्यता समिति द्वारा निर्धारित किये जायेंगे।

3.4 मान्यता समिति की बैठक अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, के आदेशानुसार बुलाई जा सकेगी।

3.5 मान्यता समिति की बैठक के लिये कम से कम तीन सदस्यों का कोरम होना अनिवार्य है, जिसमें मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव / सचिव या उनके प्रतिनिधि अथवा आयुक्त, लोक शिक्षण या उनके प्रतिनिधि में से किसी एक की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

चार – मान्यता/नवीनीकरण हेतु सक्षम प्राधिकारी :

किसी संस्था को प्रथम बार नवीन मान्यता देने के लिये अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल सक्षम प्राधिकारी होंगे। पूर्व से मान्यता प्राप्त संस्थाओं की मान्यता के नवीनीकरण के लिये मण्डल के सचिव सक्षम होंगे।

पॉच – मान्यता हेतु निर्धारित मापदण्ड :

5. 1 मण्डल की मान्यता प्राप्त करने के लिये वही संस्थायें आवेदन कर सकेंगी, जो केन्द्रीय या मध्यप्रदेश फर्म्स एवं सोसायटी एक्ट अथवा केन्द्रीय या मध्यप्रदेश लोकन्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयत हों एवं जिनकी उपविधियों में शैक्षणिक कार्य करने का प्रावधान हो।

5. 2 **भूमि एवं भवन** :

5.2.1. संस्था के पास हाईस्कूल के लिये न्यूनतम 4,000 वर्गफीट तथा हायर सेकेण्डरी के लिये न्यूनतम 5,600 वर्गफीट भूमि होना चाहिये। उक्त भूमि में से हाईस्कूल के लिये न्यूनतम 2,000 वर्गफीट निर्मित तथा 2000 वर्गफीट खुली भूमि एवं हायर सेकेण्डरी के लिये न्यूनतम 2,600 वर्गफीट निर्मित तथा 3000 वर्गफीट खुली भूमि होना चाहिये।

उपरोक्तानुसार निर्धारित न्यूनतम सीमा की बाध्यता के अन्तर्गत रहते हुये संस्था में दर्ज प्रति छात्र 10 वर्गफीट निर्मित क्षेत्र एवं प्रति छात्र 5 वर्गफीट खुली भूमि होनी चाहिये। यदि कोई विद्यालय दो पारियों में लगता है तो प्रत्येक पारी में अध्ययनरत छात्रों की संख्या के अनुपात में उपरोक्त मान से न्यूनतम क्षेत्रफल की गणना की जायेगी।

5.2.2. संस्था के पास उपरोक्त न्यूनतम शर्तों को ध्यान में रखते हुये स्वयं का अथवा किराये का भवन होना चाहिये, जिसमें पृथक–पृथक अध्यापन कक्ष, प्राचार्य कक्ष, कार्यालय कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, प्रयोगशाला कक्ष, प्रसाधन कक्ष आदि होना चाहिये।

5.2.3 अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा यदि कोई भूमि या भवन शिक्षण कार्य के लिये किराये पर लिया गया है तो उसका पंजीयत दस्तावेज होना चाहिये। इसकी प्रति संस्था द्वारा मान्यता हेतु दिये जाने वाले आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना होगी।

5.2.4. शिक्षण संस्थाओं में आग से बचाव हेतु नियमानुसार समुचित व्यवस्था की जावेगी।

5.2.5. संस्था में निःशक्त छात्र होने पर उनके लिए नियमानुसार आवश्यक व्यवस्था की जावेगी।

5.2.6. ऐसी अशासकीय संस्था जो म.प्र., माध्यमिक शिक्षा मण्डल मान्यता विनियम 2005 दिनांक 07, जनवरी 2006 के प्रभावशील होने के पूर्व से संचालित होकर मण्डल से लगातार मान्यता प्राप्त रही है एवं ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहॉ संस्था के विद्यालय के पास निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति के लिये न्यूनतम आवश्यक खुली भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करना आज की स्थिति में संभव नहीं है, की मान्यता के नवीनीकरण हेतु सिर्फ खुली भूमि की शर्त के संबंध में अध्यक्ष द्वारा कारणों को लिखित करते हुये शिथिलता दी जा सकेगी।

5.3 **अध्यापन कक्ष** :– संस्था के भवन में संचालित कक्षाओं व उनके वर्गों (सेक्शन्स) की संख्या के मान से अध्यापन कक्ष होगे। प्रत्येक वर्ग में 45 से अधिक छात्रों की संख्या नहीं होगी। संस्था के प्राचार्य व कार्यालय के लिये भी समुचित कक्षों की व्यवस्था होगी।

5.4 **प्रयोगशाला:–** प्रत्येक संस्था में हाईस्कूल के लिये एक प्रयोगशाला व हायर सकेण्डरी कक्षाओं के लिये विज्ञान संकाय होने पर भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान के लिये पृथक–पृथक निर्धारित संख्यानुसार आवश्यक प्रयोगशाला उपकरणों सहित सुसज्जित प्रयोगशालाएं होंगीं और इनके लिये पर्याप्त स्थान सहित पृथक–पृथक कक्षों की व्यवस्था आवश्यक होगी।

5.5 **पुस्तकालय:–**

5.5.1. संस्था के पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों को छोड़कर उपयुक्त पुस्तकों की पर्याप्त व्यवस्था होगी।

5.5.2. संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेदभाव तथा साम्प्रदायिकता को बढावा देने वाली किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेंगी।

5.6 **खेल मैदान:–** संस्था के पास इण्डोर खेलों जैसे बैडमिंटन/टेबल टेनिस/कबड्डी/खो–खो/बालीवाल/बास्केट बॉल आदि में से कम से कम दो खेलों के लिये शाला प्रागंण में सुविधा होना चाहिये।

5.7 **प्रसाधन** :– प्रत्येक संस्था में छात्र व छात्राओं के लिये पृथक–पृथक पर्याप्त एवं समुचित प्रसाधन की व्यवस्था आवश्यक होगी।

5.8 **फर्नीचर व्यवस्था** :– प्रत्येक छात्र को बैठकर अध्ययन कार्य के लिये समुचित फर्नीचर की व्यवस्था होना चाहिये।

5.9 **पेयजल व्यवस्था :–** पेयजल की समुचित व्यवस्था करना आवश्यक होगी।

5.10 **विद्युत व्यवस्था:–** जिन स्थानों पर बिजली उपलब्ध है, वहॉ पर संस्था को प्रकाश एवं पंखों की व्यवस्था करना आवश्यक होगा।

5.11 **स्वास्थ्य परीक्षण एवं शारीरिक प्रशिक्षण** :–संस्था द्वारा छात्रों का वर्ष में कम से कम एक बार स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। छात्रों को सप्ताह के एक कालखण्ड (पीरियड) में आवश्यक रूप से नैतिक शिक्षा, योग, शारीरिक प्रशिक्षण एवं अन्य पाठ्येत्तर गतिविधियों संबंधी प्रशिक्षण दिया जावेगा।

5.12 **वित्तीय व्यवस्था** :– संस्था को पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था रखना होगी। मान्यता आवेदन के साथ पिछले वर्ष की आय–व्यय का अंकेक्षित विवरण संलग्न करना होगा।

5.13 **अध्यापन व्यवस्था** :– संस्था में हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्डरी कक्षाओं के अध्यापन हेतु शासकीय विद्यालयों के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही अध्यापन की व्यवस्था होगी। राज्य शासन अथवा उसके द्वारा अधिकृत संस्था द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्येत्तर गतिविधियों का संचालन भी किया जाएगा ताकि छात्रों का सतत एवं समग्र मूल्यांकन राज्य शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जा सके।

5.14 **सुरक्षा निधि** :–

5.14.1. संस्था का मान्यता/नवीनीकरण आवेदन स्वीकार करने हेतु उपयुक्त पाये जाने की दशा में मान्यता आदेश जारी होने के पूर्व संस्था द्वारा केवल हाईस्कूल तक की मान्यता के लिये 25,000/–रूपये तथा हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी दोनों की एक साथ संयुक्त मान्यता के लिये 40,000/–रूपये चालान के माध्यम से मण्डल के बैंक खाते में सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।

5.14.2. संस्था द्वारा स्वेच्छा से मान्यता वापिस लेने या निरस्त करने हेतु लिखित आवेदन करने की दशा में संस्था द्वारा देय राशि का समायोजन करते हुये शेष राशि उसे बिना किसी ब्याज के मण्डल द्वारा वापिस की जा सकेगी।

5.15 अन्य शर्तें :–

5.15.1. कोई भी मान्यता प्राप्त संस्था ''निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार सुरक्षा, सम्पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995)'' के प्रावधानों के अध्याधीन रहते हुये निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगी।

5.15.2. मण्डल द्वारा आवश्यकता पड़ने पर संस्थाओं को उनके शिक्षक, कर्मचारी व भवन मण्डल की परीक्षाओं के लिये परीक्षा केन्द्र के रूप में उपलब्ध कराना होंगे। परीक्षाओं के संबंध में मण्डल के निर्देशों का पालन किया जाना संस्थाओं के लिये अनिवार्य होगा।

5.15.3. संस्था को एक वर्ष की मान्यता के लिये मण्डल द्वारा निर्धारित वार्षिक मान्यता शुल्क और एक से अधिक वर्षों के लिये मान्यता दिये जाने पर उतने ही वर्षों के लिये निर्धारित मान्यता शुल्क एकमुश्त अग्रिम के रूप में जमा करना होगा।

5.15.4. व्यवसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम हेतु संस्था को निर्धारित मापदण्डों की प्रयोगशाला / कार्यशाला की व्यवस्था करना होगी।

5.15.5. संस्था में कृषि संकाय होने पर उसके विषयों के शिक्षण हेतु संस्था को कम से कम एक एकड़ कृषि भूमि की व्यवस्था करना होगी।

5.15.6. संस्था में अध्ययनरत छात्रों के परिवहन हेतु संस्था द्वारा वाहन चलाये जाने की स्थिति में उन्हें निर्धारित सुरक्षा नियमों के अनुसार चलाया जाना अनिवार्य होगा। संस्था के पास उपलब्ध पंजीकृत वाहनों का विवरण आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किया जावेगा।

छः – मान्यता हेतु आवेदन की प्रक्रिया :–

संस्था द्वारा नवीन मान्यता अथवा नवीनीकरण एवं नये संकाय खोलने हेतु निर्धारित प्रारूप में निम्न दस्तावेजों के साथ आवेदन–पत्र की एक प्रति संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं दूसरी प्रति मण्डल के संबंधित संभागीय अधिकारी को प्रेषित की जावेगी।

6.1 संस्था के भूमि, भवन के स्वामित्व/किराये से संबंधित अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रतियॉं।

6.2 मान्यता हेतु विनियम के पैरा क्रमांक 5 में निर्धारित मापदण्डों के प्रत्येक बिन्दुओं के संबंध में आवश्यक विवरण संस्था के अध्यक्ष अथवा सचिव के नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ–पत्र के साथ सलंग्न किये जाएंगे।

6.3 संस्था के पदाधिकारियों एवं शिक्षकों की संख्या को ध्यान में रखते हुये 8 इंच X 6 इंच अथवा 7इंच X 5इंच अथवा 6 इंच X 4 इंच आकार के एक–एक रंगीन छायाचित्र निम्नानुसार संलग्न किये जाएंगे :

6.3.1. संस्था के भवन की बाहरी सीमाओं को दर्शाते हुये सामने तथा पीछे से खींचा गया एक–एक रंगीन छायाचित्र।

6.3.2. संस्था के सभी पदाधिकारियों का समूह छायाचित्र।

6.3.3. संस्था में कार्यरत सभी शिक्षकों का समूह छायाचित्र।

6.4 संस्था के पदाधिकारियों एवं शिक्षकों के समूह छायाचित्र संस्था के भवन के सामने खड़े होकर ही खींचे जावेंगे। सभी समूह छायाचित्रों के पृष्ठ भाग में शाला भवन स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिये।

6.5 आवेदन–पत्र के साथ निम्नानुसार विवरण संलग्न किये जावें :–

6.5.1. संस्था के पदाधिकारियों की उनके नाम, पद व पते सहित सूची।

6.5.2. संस्था में कार्यरत सभी शिक्षकों के कक्षावार व विषयवार नाम व शैक्षणिक योग्यता सहित सूची।

6.5.3. शाला में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की कक्षावार, संकायवार संख्या।

6.5.4. प्रयोगशालाओं की संख्या एवं उनमें उपलब्ध उपकरणों की संख्या व सूची।

6.5.5. पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की विषयवार संख्या।

6.5.6. शाला में उपलब्ध कुर्सी, बैंच, मेज व आलमारियों की संख्या।

6.5.7. संस्था के संचालित बैंक खाते का विवरण, बैंक पास–बुक की अद्यतन छायाप्रति एवं वर्तमान में उपलब्ध चल–अचल संपत्ति का विवरण।

6.5.8. संस्था का गत वर्ष का अंकेक्षित वार्षिक लेखा ।

6.5.9. संस्था के पदाधिकारियों एवं शिक्षकों की आपराधिक पृष्ठभूमि और उनके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लम्बित नहीं होने बावत् संस्था के सचिव/अध्यक्ष का नोटरी से प्रमाणित शपथ–पत्र।

6.5.10. संस्था में शिक्षण के माध्यम का विवरण।

6.6 आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किये गये सभी दस्तावेज संस्था के अध्यक्ष/सचिव द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये।

6.7 मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन के साथ भूमि, भवन के संबंध में नये सिरे से दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने होंगे। किन्तु छाया चित्र तथा गत वर्ष का अंकेक्षित लेखा विवरण, प्रयोगशाला उपकरण, फर्नीचर तथा पूव में दी गई जानकारी में हुये परिवर्तनों की सूची संलग्न करना आवश्यक होगी।

6.8 मान्यता एवं उसके नवीनीकरण हेतु नियमानुसार सभी आवश्यक जानकारी सहित आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर जिले के कलेक्टर की अध्धक्षता में गठित समिति द्वारा संस्था का निरीक्षण कराया जायेगा और अपने स्पष्ट अभिमत सहित प्रतिवेदन मण्डल कार्यालय को भेजा जायेगा। समिति स्वविवेक से किसी भी संस्था का आकस्मिक निरीक्षण कर सकेगी।

6.9 मान्यता/नवीनीकरण हेतु नियमानुसार सभी आवश्यक विवरण सहित आवेदन–पत्र प्रस्तुत किये जाने की दशा में एवं उनकी करायी गई जॉच के उपरान्त कलेक्टर के माध्यम से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर दो माह के भीतर मण्डल द्वारा उनका निराकरण किया जावेगा।

6.10 मण्डल द्वारा संस्थाओं को दी गई मान्यता एवं नवीनीकरण अथवा नये संकायों को खोलने की अनुमति मान्यता देने के अगले शिक्षण सत्र के प्रारम्भ से लागू मानी जावेगी।

सात.1 :–**<u>मान्यता/नवीनीकरण की प्रक्रिया :</u>**

संस्था को प्रथम बार दो वर्ष के लिए मान्यता प्रदान की जावेगी, तत्पश्चात तीन वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जा सकेगा। जितनी अवधि के नवीनीकरण हेतु आवेदन दिया गया हो, उसके लिये निर्धारित नवीनीकरण शुल्क एक मुश्त सम्पूर्ण अवधि के लिए संस्था को जमा करना होगा।

7.2 :– संस्थाएं उन्हीं कक्षाओं व संकायों में छात्रों को प्रवेश दे सकेंगी, जिनके संचालन की मान्यता उन्हें मण्डल द्वारा दी गई है।

7.3 :– मण्डल द्वारा मान्यता अथवा नवीनीकरण प्रदान करने संबंधी प्रमाण–पत्र संस्था के प्राचार्य कक्ष में प्रदर्शित किया जावेगा।

7.4.:– संस्था में अध्यापन करने वाले शिक्षक एवं कर्मचारी किन्हीं भी राजनैतिक गतिविधियों में संलग्न नहीं होंगे एवं छात्रों का भी राजनैतिक उद्‌देश्य के लिये उपयोग नहीं किया जायेगा।

7.5 :– प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय, कक्षावार छात्रों की उपस्थिति पंजियों का संधारण करेगा। उपस्थिति पंजियों का निरीक्षण मण्डल अथवा शालेय शिक्षा विभाग के अधिकारी आकस्मिक रूप से कभी भी कर सकेंगे।

7.6 :– संस्था में अध्ययनरत छात्रों के पालकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु पालक–शिक्षक संघ का गठन किया जावेगा।

आठ – दण्ड : **<u>मान्यता का निलंबन, मान्यता समाप्ति तथा सुरक्षा निधि का राजसात किया जाना :–</u>**

8.1 इन विनियमों की कण्डिका 5 में मान्यता हेतु निर्धारित मान्यता मापदण्डों के उल्लंघन की दशा में अध्यक्ष अथवा सचिव को यह अधिकार होगा कि वे दर्शाये गये कारणों से संस्था की मान्यता निलंबित कर सकेंगे। ऐसे निलंबन आदेश होने के 30 दिन के अन्दर संस्था को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाना आवश्यक होगा। ऐसा नहीं कर सकने की दशा में निलंबन स्वतः समाप्त हो जावेगा।

8.2 मान्यता हेतु निर्धारित मापदण्डों के उल्लंघन की दशा में सचिव कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर एवं सुनवाई का अवसर देने के पश्चात संस्था की सुरक्षा निधि पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से राजसात कर सकेंगे।

8.3 संस्था की सुरक्षा राशि राजसात करने के आदेश पारित करने के पूर्व सचिव द्वारा स्वयं अथवा अतिरिक्त सचिव/उपसचिव द्वारा संस्था के विद्यालय का निरीक्षण करना अनिवार्य होगा। संस्था को भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाएगा।

8.4 माध्यमिक शिक्षा मण्डल के अध्यक्ष को उपरोक्त प्रावधान के अतिरिक्त यह अधिकार होगा कि वे मान्यता हेतु निर्धारित मापदण्डों के गम्भीर उल्लंघन की दशा में संस्था को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त संस्था की मान्यता समाप्त कर सकेगें।

नौ – अपील :–

9.1 इन विनियमों के अन्तर्गत सचिव द्वारा पारित किसी आदेश के विरूद्ध 30 दिवस के अन्दर अध्यक्ष को अपील की जा सकेगी। अपील में सुनवाई के पश्चात समुचित आदेश पारित करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा।

9.2 इन विनियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा पारित किसी आदेश के विरूद्ध 30 दिन के भीतर माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, शालेय शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित समिति के समक्ष अपील की जा सकेगी।

1.	माननीय मंत्री म.प्र. शासन, शालेय शिक्षा विभाग	–	अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल	–	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, शालेय शिक्षा विभाग	–	सदस्य
4	आयुक्त/संचालक, लोक शिक्षण	–	सदस्य
5.	मान्यता समिति के दो अशासकीय सदस्य	–	सदस्य
6.	सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल	–	सदस्य सचिव

अपील समिति की बैठक हेतु माननीय मंत्री, शालेय शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मान्यता समिति के अशासकीय सदस्यों में से न्यूनतम एक सदस्य तथा शासकीय सदस्यों में से प्रमुख सचिव/सचिव, अथवा आयुक्त/संचालक, लोक शिक्षण में से किसी एक का होना अनिवार्य होगा।

दस – <u>मान्यता विनियम में संशोधन</u> – इन विनियमों में मान्यता समिति की अनुशंसा पर कार्यपालिका समिति आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकेगी।

<u>ग्यारह – निरसन एवं व्यावृत्ति</u> :–

11.1 इन विनियमों के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पूर्व में प्रचलित माध्यमिक शिक्षा मण्डल मान्यता विनियम 2005 स्वमेव निरस्त हो जाएगे।

11.2 इन विनियमों के प्रकाशन के पूर्व निर्णीत किये गये मान्यता प्रकरण इसी प्रकार समझे जाएंगे, मानो वे इन विनियमों के अन्तर्गत निर्णीत हुये हों।

11.3 इन विनियमों के प्रकाशन के पूर्व निर्णीत मान्यता के प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जायेगा।

11.4 इन विनियमों के प्रकाशन की तिथि के समय विचाराधीन और उसके पश्चात प्राप्त होने वाले मान्यता प्रकरणों का निराकरण इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार ही किया जायेगा।

एल. के. द्विवेदी, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010